187
date 25/11/2011

संख्या– / /XVIII(1)/2011–1(12)2010

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2011

विषय –जनपद टिहरी गढ़वाल में 10 पटवारी चौकी के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–150/ग्रा0अ0से0/पटवारी चौकी/2011–12 दिनांक 23.05.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत अनारम्भ पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन ₹ 10.00 लाख (प्रति पटवारी चौकी) के विरूद्ध टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त ₹ 9.30 लाख (प्रति पटवारी चौकी) की धनराशि औचित्यपूर्ण पाई गई है। प्रति पटवारी चौकी ₹ 9.30 लाख की दर से 10 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु ₹ 93.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जानी है, चूंकि पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि में से ₹ 31,15,525 की धनराशि जनपद में अवशेष है अतः औचित्यपूर्ण पाये गये पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में श्री राज्यपाल जनपद टिहरी गढ़वाल में अनारम्भ 10 पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु जनपद में पूर्व की अवशेष धनराशि ₹ 31,15,525/– को समायोजित करते हुए ₹ 61,84,475/– (रू0 इकसठ लाख चौरासी हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धो/शर्तों के साथ प्रदान करते है :–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु जनपद में संचित धनराशि ₹ 31,15,525 में ब्याज की धनराशि आंकलित कर राजकोष में जमा कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

–2

go.doc

6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाए तथा कार्य को स्वीकृत लागत एवं समय से पूर्ण किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–09–पटवारी चौकियों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–117P/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दिनांक 25.10.2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–७१५ (1)/XVIII(1)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

go.doc